

## निष्ठा की घोषणा

(निवास अधिनियम, cf. की धारा 25b उपधारा (1) वाक्य 1, निवास अधिनियम की धारा 25b उपधारा (1) वाक्य 2 संख्या 2 के अर्थ के भीतर निवास परमिट प्रदान करने के उद्देश्य से 16 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।)

1. मैं जर्मनी के संघीय गणराज्य के बुनियादी कानून की उदार लोकतांत्रिक मौलिक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध हूँ।

विशेष रूप से, मैं स्वीकार करता/करती हूँ:

- a) चुनावों और जनमत संग्रहों में और विशेष कानूनी, कार्यपालक और न्यायिक निकायों के माध्यम से तथा सार्वभौमिक, प्रत्यक्ष, स्वतंत्र, समान और गुप्त मताधिकार द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए लोगों का राज्य के प्राधिकार का प्रयोग करने का अधिकार,
- b) विधायिका पर संवैधानिक व्यवस्था की बाध्यता तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका पर कानून और न्याय की बाध्यता,
- c) संसदीय विपक्ष बनाने और इसे व्यक्त करने का अधिकार,
- d) सरकार का अलगाव और जनता के निर्वाचित

प्रतिनिधियों के प्रति  
इसकी जवाबदेही,

- e) न्यायालयों की स्वतंत्रता,
- f) बल या मनमानी शक्ति द्वारा किसी नियम तथा

बुनियादी कानून में उल्लिखित मानव अधिकारों का निषेध।

2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी ऐसे प्रयासों का अनुसरण या समर्थन नहीं कर रहा/रही हूँ, या कभी अनुसरण या समर्थन नहीं किया है जो

- a) उदार लोकतंत्र की मौलिक व्यवस्था, संघ या संघीय राज्य के अस्तित्व या सुरक्षा के विरुद्ध हैं, या
- b) संघीय या राज्य संवैधानिक निकायों या उनके सदस्यों के कर्तव्यों के निर्वाह के साथ गैर-कानूनी रूप से हस्तक्षेप करने पर लक्षित हैं, या
- c) बल प्रयोग के माध्यम से या ऐसे बल प्रयोग की तैयारी पर लक्षित कृत्यों के माध्यम से विदेश में जर्मनी के संघीय गणराज्य के हितों को खतरे में डालते हैं।

हस्ताक्षर

\_\_\_\_\_

उपर्युक्त हस्ताक्षर के सही होने के लिए

p.p.

\_\_\_\_\_, तारीख \_\_\_\_\_ (मुहर)

\_\_\_\_\_

(लोक प्राधिकारी/हस्ताक्षर)